सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-32/2022/819/सत्रह-म-2022-6-9(175)/17टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 जुलाई 2022

विषयः मत्स्य पालकों व मत्स्य व्यवसायियों को क्रेडिट कार्ड की अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या-RBI/2018-19/112 FIDD.CO.FSD.BC.12/ 05.05.010/2018-19 दिनांक 04.02.2019 एवं तत्क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या- F.No.30035-01/2018-Fy.(T1) (Pt.), दिनांक-10.11.2021 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश (गाइडलाइन्स) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन परिपत्र संख्या-RBI/ 2022-23/*51* FIDD.CO.FSD.BC.6/ 05.010 /2022-23 दिनांक 18.05.2022 द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड अर्हता में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें बोट, जाल, फिशिंगगियर तथा राज्य सरकारों में मत्स्य व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से आच्छादित किया गया है।

3- प्रदेश में मुख्यतया ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों तथा निजी भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। अतः भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन परिपत्र दिनांक 18.05.2022 के आलोक में ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारक, निजी भूमि पर तालाब निर्माण कराने वाले व्यक्ति, निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन करने वाले हैचरियों के स्वामी, मत्स्य बीज रियरिंग इकाईयों के स्वामी तथा किसी भी प्रकार से मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु लाभार्थी के रूप मे चिंन्हित किया गया है और इसी आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितम्बर, 2022 तक मत्स्य पालन हेतु कुल 13804 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने का संशोधित जनपदवार लक्ष्य (संलग्न) निर्धारित किया गया है।

4- किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कराने का कार्य जिला स्तर पर अभियान के रूप में क्रियान्वित कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय बैंक समन्वय समिति की बैठक में मत्स्य पालन मद में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने हेतु स्केल आफ फाइनेन्स का निर्धारण कराना आवश्यक है तथा मासिक रूप से जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में बैंकर्स की गहन समीक्षा करना भी अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन व निर्धारित लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु स्वयं की अध्यक्षता में मत्स्य पालन निवेशों की स्केल आफ फाइनेन्स का निर्धारण कराते हुए अभियान के रूप में कैंम्प लगाकर अधिकाधिक किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक माह बैंकर्स समिति की बैठकों के एजेन्डा में मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति समीक्षा को सम्मिलित किये जाने के साथ ही कृषि विभाग में विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों ए0टी0एम0 व बी0टी0एम0 का सहयोग प्राप्त करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को सफल बनाये जाने तथा मुख्य विकास अधिकारी की देख-रेख में गहनता से अभियान चलाये जाने व इसकी साप्ताहिक समीक्षा बैठक किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-32/2022/819(1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर से भी प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।